

(221)

(97)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल खालियर लिखक स० प० अलियर पोठ रोवा स० प्र०  
R. 5120 के 115



- 1- शोन्तो पति स्व. दर्शन राम उम 85 वर्ष पेशा ग्रह कार्य
- 2- रामखेलाखन पिता स्व. दर्शन राम उम 56 साल पेशा खेतो,
- 3- दोनानाथ पिता स्व. दर्शन राम उम 50 साल पेशा खेतो  
सभी निवासो ग्राम जोरौधा तख्सोल गोपदबनास  
जिला सोधो मृग प्र० —— अवैदकाणे / निगरानीकतांगणे

बनामः

- अ- बुटडयाँ उर्फ कन्हईया पति स्व. हनुमान राम उम 70 वर्ष पेशा ग्रह कार्य
- ब- राजबहौर पिता स्व. हनुमान राम उम 50 साल पेशा खेतो
- स- डालर प्रसाद पिता स्व. हनुमान राम उम 47 वर्ष पेशा खेतो
- द- राजराम प्रसाद पिता स्व. हनुमान राम उम 45 साल पेशा खेतो
- इ- राजेन्द्र प्रसाद पिता स्व. हनुमान राम मृतक
- इ० नामेन्द्र प्रसाद पिता स्व. हनुमान राम उम 37 साल पेशा खेतो
- इ० रावेन्द्र प्रसाद दुबे तत्य उम 35 वर्ष

- इ० कृष्ण उषा देवो पति स्व. राजेन्द्र राम उम 35 साल
- इ० खृष्ण राधादेवो पुत्रो स्व. राजेन्द्र राम उम 15 साल,
- इ० गृगृ शुद्धादेवो पुत्रो स्व. राजेन्द्र राम उम 13 साल,
- इ० चृष्ण - मुना प्रसाद पिता स्व. राजेन्द्र राम उम 10 साल नावालिक  
सरंधिका माता उषा देवो पति स्व. राजेन्द्र ब्राह्मण सभी निः  
ग्राम जोरौधा तख्सोल गोपदबनास जिला सोधो मृग प्र०  
— अवैदकाणे / गैर निगरानीकतांगणे

निगरानी विस्त आदेश न्यायालय अपर क्लैक्टर महोदय  
सोधो जिला सोधो मृग प्र० के प्रकरण क्रमांक 465/१८०

(17)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक R.5120-II/15 जिला—भीम

शान्ती व्हार विरुद्ध भुत्त्या उक्त कहाँया

(1)

(2)

(3)

16-1-19-

- आवेदक की ओर से श्री...शिवामुखी...अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी क्लिक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला...भीम के प्रकरण क्रमांक...465/II/10/2008-09...में पारित आदेश दिनांक...22.07.15...के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29.03.19...को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।

सदस्य